बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

सं संख्या– प्रेस–345/09–..39............सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक–04.04.12

बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान नियमावली – 2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

प्रस्तावना – पत्रकारों के महत्त्व और सम्मान को स्थापित करना; पत्रकारिता जगत् में उदीयमान पत्रकारों को प्रोत्साहित कर पत्रकारिता में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना; पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को प्रोत्साहित करना; प्रदेश में स्वस्थ एवं रचनात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने एवं पत्रकारिता की गरिमा स्थापित करने हेतु प्रशंसनीय कार्य करने वाले पत्रकारों को राज्य स्तर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार सम्मानित करने हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार** – यह नियमावली **बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान नियमावली–2012** कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
2. **परिभाषाएँ** – विषय और संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में:–

(क) ''राज्य'' से अभिप्रेत है – ''बिहार राज्य''

(ख) ''सरकार'' से अभिप्रेत है – ''बिहार सरकार''

(ग) ''प्रधान सचिव/सचिव'' से अभिप्रेत है – ''बिहार सरकार के सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के प्रधान सचिव/सचिव।

(घ) ''पत्रकार'' से अभिप्रेत है – श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम–1955 (समय–समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित पत्रकार, जिनकी मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता हो; जिसमें समाचार पत्र/पत्रिका/एजेंसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी0वी0, रेडियो, वेब आधारित सेवाएँ) के पत्रकार, छायाकार और संपादकीय कर्मी आदि भी शामिल हैं।

(ड) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है – इस नियमावली के अधीन गठन की जाने वाली चयन समिति।

(च) ''समाचार पत्र/पत्रिका'' से अभिप्रेत है – ऐसे नियतकालीन प्रकाशन, जिनमें सार्वजनिक समाचार अथवा टीका टिप्पणी अंतर्विष्ट हों; तथा प्रेस और पुस्तक अधिनियम 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा निबंधित हो।

(छ) ''न्यूज मीडिया'' से अभिप्रेत है – समाचारों/टिप्पणियों का प्रकाशन/प्रसारण आदि; जिसमें समाचार पत्र/वायर सर्विस/नन वायर सर्विस/न्यूज एजेंसी/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंसी/इन्टरनेट मीडिया शामिल हैं।

(ज) ''इलेक्ट्रॉनिक मीडिया'' से अभिप्रेत है – दूरदर्शन, आकाशवाणी, अन्य टी0वी0, रेडियो चैनल और वेब आधारित सेवाएँ।

3. **सम्मानों के प्रकार–** इस सम्मान योजना के अधीन सम्मानों के प्रकार एवं पत्रकार के लिए देय राशि निम्नवत् हैं :–

(क) शिवपूजन सहाय सम्मान – इस सम्मान से प्रिंट मीडिया के उन पत्रकारों में से किसी एक की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित किया जायेगा, जिनके प्रकाशित समाचार/लेख/विश्लेषण आदि बिहार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के उत्थान से संबंधित हों। इस सम्मान में अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र के साथ एक लाख रूपये की राशि भी प्रदान की जायेगी।

(ख) रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान– इस सम्मान से इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े उन पत्रकारों में से किसी एक की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित किया जायेगा, जिनके प्रसारित समाचार आदि बिहार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के

उत्थान से संबंधित हों। इस सम्मान में अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र के साथ एक लाख रूपये की राशि भी प्रदान की जायेगी।

(ग) **गुलाम सरवर सम्मान–** इस सम्मान के तहत प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों में से किसी एक की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा जिनके उर्दू में प्रकाशित/प्रसारित समाचार/लेख/ आलेख/ विश्लेषण आदि बिहार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के उत्थान से संबंधित हों। इस सम्मान में अंगवस्त्र प्रशस्ति पत्र के साथ एक लाख रूपये की राशि भी प्रदान की जाएगी।

(घ) **भारती सम्मान–** इस सम्मान के तहत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन महिला पत्रकारों में से किसी एक की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा जिनके प्रकाशित/प्रसारित समाचार/लेख/आलेख/ विश्लेषण आदि बिहार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के उत्थान से संबंधित हों। इस सम्मान में अंगवस्त्र प्रशस्ति पत्र के साथ एक लाख रूपये की राशि भी प्रदान की जाएगी।

(ड.) **आजीवन उपलब्धि पत्रकारिता सम्मान–** इस सम्मान के तहत बिहार राज्य में निवास करने वाले एवं पत्रकार के रूप में न्यूनतम 30 वर्षों से अनवरत रचनात्मक पत्रकारिता करते हुए राज्य में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भावना बनाने एवं अन्य विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले पत्रकारों में से किसी एक की उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान में अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र के साथ 2 (दो) लाख रू0 की राशि भी प्रदान की जाएगी।

(च) छाया पत्रकारिता सम्मान – इस सम्मान से प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मिडिया के छायाकारों में से किसी एक को अलंकृत किया जायेगा, जिनके

प्रकाशित/प्रसारित छायाचित्र बिहार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के उत्थान से संबंधित हों। इस सम्मान में अंगवस्त्र, प्रशस्तिपत्र के साथ एक लाख रूपये की राशि भी प्रदान की जायेगी।

4. पात्रता– (क) नियम–3(3) को छोड़कर बिहार राज्य में निवास करने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष से सक्रिय व्यक्ति, जिन्होंने रचनात्मक पत्रकारिता के

माध्यम से राज्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवायें दी हो;

(ख) 'सम्मान' मरणोपरांत भी प्रदान किये जा सकते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा;

(ग) उक्त विषयक सम्मान संबंधी प्रविष्टि हेतु उम्र सीमा की कोई बाधा नहीं होगी। प्रविष्टि करने हेतु आवश्यक होगा कि आवेदक पत्रकारों पर कोई आपराधिक मामला सिद्ध न हो, वे सजायाफ्ता न हो, भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा उन पर किसी तरह के कदाचार, पत्रकार आचरण संहिता के उल्लंघन जैसे कोई मामले दर्ज न हों।

5. चयन समिति का गठन एवं कार्यकाल– चयन समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा नौ सदस्यों की एक समिति (अध्यक्ष को सम्मिलित कर) मनोनीत की जाएगी। जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग होंगे। निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे। शेष सदस्यों में पत्रकारिता, संपादन, एवं एकेडमिक क्षेत्र के लब्धप्रतिष्ठ प्रतिनिधि होंगें जिनमें महिला, अल्पसंख्यक,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

6. **सम्मान हेतु प्रविष्टि– (क)** इस सम्मान योजना के लिए सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विहित प्रपत्र में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जायेंगी;

(ख) प्रविष्टियाँ संस्थागत माध्यमों से मनोनयन के साथ प्राप्त की जायेगी;

(ग) प्रविष्टियों में मनोनीत व्यक्ति के जीवनवृत तथा उसके द्वारा मीडिया क्षेत्र में किये गये योगदान से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पाँच दस्तावेजों/प्रसारणों की प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँगी;

(घ) मनोनीत व्यक्ति के अब तक प्राप्त सम्मान/पुरस्कार से संबंधित ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(ङ) जीवनपर्यंत पत्रकारिता संबंधी उपलब्धियों के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संगत समिति पत्रकारिता क्षेत्र में जीवनपर्यंत उल्लेखनीय योगदान करने वाले प्रख्यात पत्रकारों के नाम की अनुशंसा कर सकती है।

7. पुरस्कार कार्यक्रम– (क) राज्य मुख्यालय में या राज्य में किसी अन्य जगह पर आहूत 'प्रेस दिवस' संबंधी समारोह के अवसर पर ही पत्रकारों को एतद् विषयक सम्मान पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा;

(ख) पुरस्कार हेतु नामित पत्रकारों को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिसमें पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना है।

8. पुरस्कार रद्द या समाप्त किए जाने के प्रावधान– (क) पुरस्कार नामिती के द्वारा समर्पित गलत/जालसाजी कागजातों के आधार पर यह पुरस्कार रद्द किया जा सकता है। किसी वैध एवं समुचित वजह से पुरस्कार समाप्त या वापस भी लिया जा सकता है;

(ख) राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा;

(ग) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि समुचित वजह होने पर पुरस्कार समाप्त/रद्द/वापस लिए जाने की स्थिति में प्रदत्त पुरस्कार विषयक प्रशस्ति पत्र, नकद एवं अन्यान्य को प्राप्त करे।

9. **नियमावली में आवश्यक कार्रवाई— (क)** राज्य सरकार को अधिकार रहेगा कि वह आवश्यकतानुसार इस नियमावली में संशोधन/परिमार्जन अथवा निरसन कर सके;

(ख) चयन समिति के किसी निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के प्रधान सचिव,
सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—.................................... सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— सहायक निदेशक (प्रभारी ई—गजट सेल), वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उनसे अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने की कृपा करें तथा अधिसूचना की 2500 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भी सुलभ कराने की कृपा करें।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.................................... सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/माननीय सूचना मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.. सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप जन—सम्पर्क निदेशक (क्षेत्र/)सभी जिला जन—सम्पर्क पदाधिकारी/सभी अपर जिला जन—सम्पर्क पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar
Information & Public Relations Department

NOTIFICATION

NO- Press-345/09-....39......... I. & P. R. D., Patna, Dated-04.04.12

Bihar Centenary Journalism Award Rules, 2012

In exercise of the power conferred under the provision of the Article 162 of the constitution of India, the state government makes the following Rules :-

Preamble : To establish the importance and honor of journalists, to encourage the budding journalists to do better in this field, to encourage and honor senior journalists who have used journalism to make important contribution in social service, and to establish the dignity of journalism, to encourage healthy and creative journalism in the state, these rules are being framed to honor once every financial year the journalists who have done commendable work at state level.

1. **Short Title and extent : (i)** These Rules may be called 'Bihar Centenary Journalism Award Rules, 2012'.

   (ii) It shall extend to whole of the Bihar state.

2. **Definitions** : Unless otherwise required in context and subject, in these Rules:

   (a) '**State**' means – 'State of Bihar'

   (b) **Government** means-'Government of Bihar'

   (c) "**Principal Secretary/Secretary**" means 'Principal Secretary/ Secretary, Department of Information and Public-Relations, Government of Bihar.

(d) "**Journalist**" means the journalist as defined in Working Journalists Act 1955 (as amended from time to time), whose principal avocation livelihood is journalism, which includes journalists, editorial staff, photographers etc of a News paper / Magazine/Agency/Electronic media (TV, Radio & Web based services).

(e) '**Selection committee**' means the selection committee to be constituted under these Rules.

(f) "**News paper/Magazine**" means such regular publications which consist of public news or comments and is registered by the Registrar of News papers of the Government of India in accordance with Press and Book Act 1867.

(g) '**News media**' means publication and telecasting/broadcasting etc of news/comments, which includes News paper/wire service/ nonwire service/News agency/Electronic media agency/Internet media.

(h) '**Electronic media**' means - Doordarshan, Akashwani, other TV and Radio channels and internet media based services.

3. Types of Awards : Types of awards and amounts payable for the Journalists under this award scheme are as follows:

(a) Shiv Pujan Sahai Award - Recognizing their important achievements, this award will be conferred to any one of journalists of print media, whose published articles/write ups/editorials/analysis etc are related to the social, economic, educational development of the state and upliftment of women, minorities and deprived classes of Bihar. A sum of ₹One lakh along with an Angvastram and a citation will be granted under this award.

(b) Ram Vriksha Benipuri Award Recognizing their important achievements this award will be conferred to one of those journalists associated with electronic media whose news/analysis, telecast or broadcast on electronic media is related to the social, economic, educational development of the state and upliftment of women, minorities and deprived classes of Bihar. A sum of ₹one lakh alongwith an Angvastram and a citation will be granted under this award.

(c) Gulam Sarwar Award- Recognizing their important achievements, this award will be conferred to one of those electronic or print media journalists whose news/articles/analysis in Urdu are related to the social, economic, educational development of the state and upliftment of women, minorities and deprived classes of Bihar. A sum of ₹ one lakh, along with an Angvastram and a citation will be granted under this award.

(d) Bharati Award- Recognizing their important achievements, this Award will be conferred to one of those electronic or print media, women journalists whose news/articles/analysis are related to the social, economic, educational development of the state and upliftment of women, minorities and deprived classes of Bihar. A sum of ₹ one lakh alongwith Angwastram and a citation will be granted under this Award.

(e) Lifetime Achievement Journalism Award- Recognizing their important achievements, this Award will be conferred to one of those electronic or print media journalists who reside in Bihar and have put in a minimum period of 30 years in the field of journalism and have made outstanding contribution in reporting on economic social, cultural

and other developmental matters. A sum of ₹ two lakhs along with an Angwastram and a citation will be granted under this Award.

(f) Photo journalism Award- Recognizing their important achievements, this award will be conferred to one of those photographers/videographers whose published/telecast photographs are related to the social, economic, educational development of the state and upliflment of women, minorities and deprived classes of Bihar. A sum of ₹ one lakh alongwith an Angwastram and a citation will be granted under this Award.

4. Eligibility : **(a)** Except for Rule 3 (e) The person should be residing in the State of Bihar and active in the field of journalism for at least ten years and should have rendered distinguished services in the field of economic, social, cultural development of the State through creative journalism;

(b) The 'award' may also be granted posthumously and in such instance be received by the heir of the Awardees;

(c) There is no age ceiling for these awards. The applicant for these awards should not be charge sheeted or convicted, nor should be named in any case of violation of code of ethics of journalism by the Press Council of India.

5. Constitution of the Selection Committee and its tenure:

The Selection Committee shall comprise nine members (including the chairperson) and would be nominated by the State Government. The Principal Secretary/Secretary of Information & Public Relations Department shall be its chairperson and Director. Information and Public-relation shall be the Member Secretary of the Committee. Out of the rest of the members, there must be representatives who have made a mark in the field of journalism, editing, photography and

academics in which representation of minorities, schedule casts/schedule tribes communities shall be necessary. The tenure of the Committee shall be of two years.

6. Entries for the Award:

(a) Entries for this Award Scheme will be invited by the Information and Public Relations Department, Bihar through a public notice once every financial year in prescribed form;

(b) Entries could also be received through institutions who could nominate persons in various categories;

(c) The entries shall be accompanied with the biodata of the nominated person and five copies of the best documents of their services in the field of media (print, electronic, photographs);

(d) Details of awards/prizes received till date by the person nominated shall also be submitted;

(e) For life time achievement award in journalism there would be no need for submitting applications. The selection committee would nominate names in this category.

7. Award Programme:

(a) This awards would be presented to the journalists once every financial year either at state headquarters or in any other place in the state on the occasion of "Press Day".

(b) Journalists selected for awards would have to be personally present to receive the awards except in those cases where the award is being conferred posthu mously.

8. Cancellation/Revocation of Award:

(a) This awards can be cancelled on the grounds of wrong/false documents submitted by the nominees. The award can also be revoked/ cancelled for other legal and adequate reasons;

(b) The decision of the state government would be final and binding;

(c) In the case of revocation/cancellation of the award the state government would have the right to recover citation, cash award etc.

9. Necessary actions pertaining to the Rules:

(a) The State Government shall have the right to amend/modify/repeal the Rules.

(b) Decisions of the selection committee shall not be amenable to challenge in a court of law.

By the order of Governor of Bihar

Principal Secretary to Government
Information & Public Relations Department
Bihar, Patna.

Memo No.-.......................... I. & P.R.D., Patna, Dated-

Copy forwarded to Assistant Director (in charge E-Gazette Cell), Finance Department, Patna, for Information & necessary action.

He is also requested to manage to publish this notification in the extra ordinary issue of Bihar Gazette and send it's 2500 copies to the I. & P. R. D, Bihar, for necessary action.

Principal Secretary to Government
Information & Public Relations Department
Bihar, Patna.

Memo No.-………………………. I. & P.R.D., Patna, Dated-

Copy forwarded to Honorable Governor's Principal Secretary/Honorable Chief Minister's Secretary/ Honorable Information Minister's Private Secretary for Information.

Principal Secretary to Government
Information & Public Relations Department
Bihar, Patna.

Memo No.-………………………. I. & P.R.D., Patna, Dated-

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/All Principal Secretary/ All Secretary/ All Head of Department/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrate/ All Superintendent of Police/ All Dy. Director, Information & Public Relations Department (Divisional Unit)/ All District Public Relation Officer/All Additional Public Relation Officer/ All the Officers posted at Headquarter, Information & Public Relations Department, Bihar, Patna for Information and necessary action.

Principal Secretary to Government
Information & Public Relations Department
Bihar, Patna.